तूलिका

2022

तीसवां अंक

वार्षिक हिन्दी गृह-पत्रिका

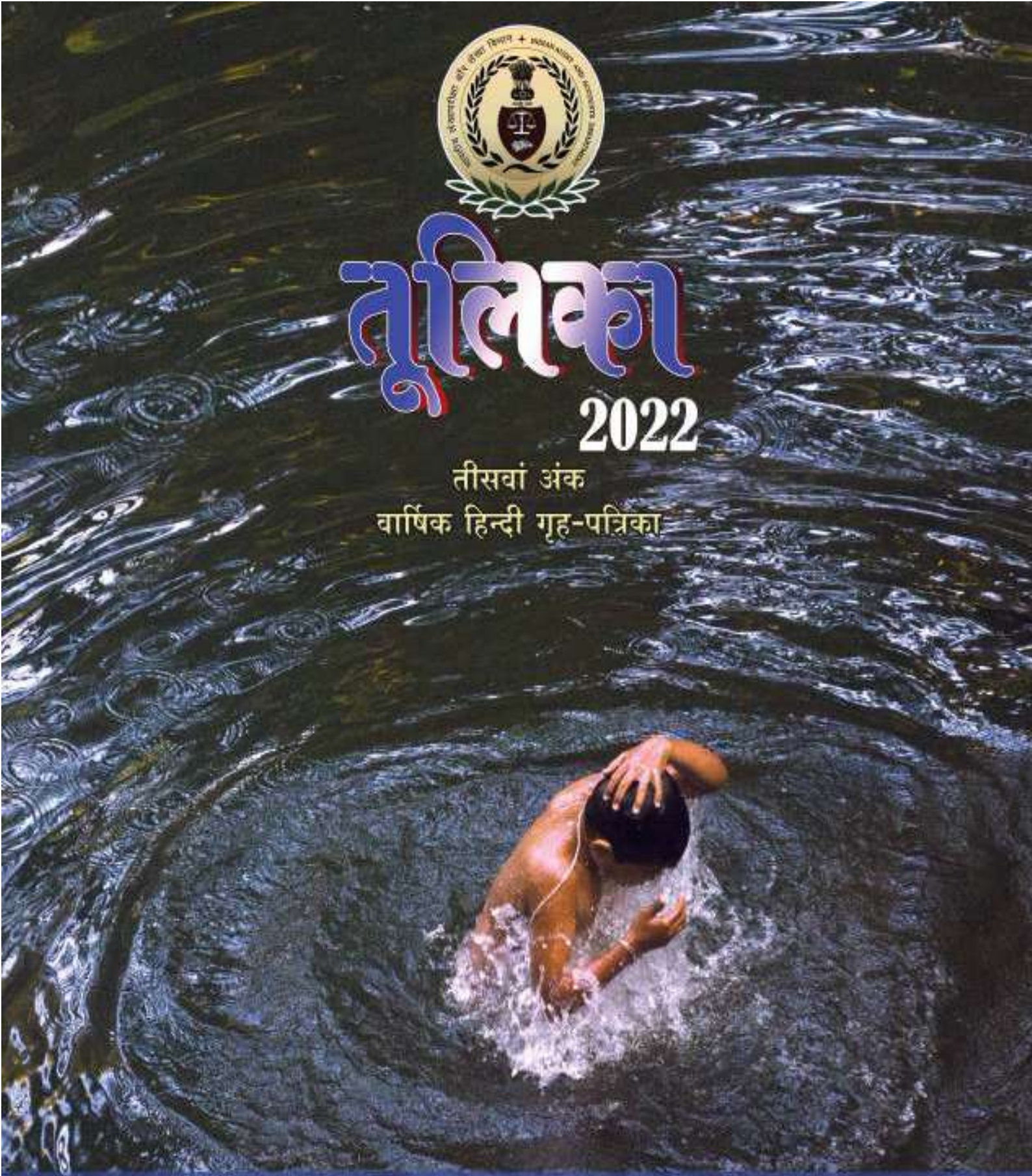

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) का कार्यालय, केरल

एवं

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II) का कार्यालय, केरल

तृशूर शाखा

हिंदी गृह पत्रिका ' तूलिका ' के **29**वें अंक का विमोचन
करती प्रधान महालेखाकार महोदया सुश्री अनिम चेरियान

तूलिका

वार्षिक हिन्दी गृह-पत्रिका

2022

प्रकाशक

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, केरल

एवं

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल

तृशूर शाखा

प्रकाशन	:	तूलिका वार्षिक हिंदी गृह-पत्रिका
प्रकाशक	:	वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I)
अंक	:	तीसवां
मूल्य	:	राजभाषा के प्रति निष्ठा
मुद्रणालय	:	बुल्सनेट, तृशूर

आवरण पृष्ठ चित्र - श्री. के. एम. कृष्णन (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी)

विदित हो कि आवरण पृष्ठ चित्र को राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता "अभिव्यक्ति-2021" में एलिमेंट्स श्रेणी के तहत तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था।

पत्रिका में प्रस्तुत विचार, रचनाकारों के व्यक्तिगत विचार है।

संपादक मंडल का रचनाकारों के विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक

सुश्री अनिम चेरियान

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), केरल

संरक्षक

श्री को.प. आनंद

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), केरल

संपादक मंडल

परामर्शदाता

श्री के जे टॉमी

वरिष्ठ उप महालेखाकार

(ए.एम.जी.-III/लेखापरीक्षा-II)

मुख्य संपादक

श्री राहुल पा

उप महालेखाकार

(ए.एम.जी.- I/लेखापरीक्षा-I)

सदस्य

श्री वी नारायणनकुट्टी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

श्रीमती जे आर आशा

हिंदी अधिकारी

श्री मधूसूदनन टी

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

श्री जीजो बास्ट्यन

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

श्रीमती ए एम भद्राम्बिका

हिंदी अधिकारी

सुशील कुमार गुप्ता

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी वार्षिक हिंदी पत्रिका "तूलिका " का नया अंक प्रकाशित किया जा रहा है। हिंदी भाषा, भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता का प्रतीक है।भारत जैसे विविधता से भरे देश में हिंदी ने एक संपर्क भाषा के रूप में आम जनता के मन में एकता की भावना को लगातार जगाए रखा है। भारत में जितनी भाषाएं है उससे अधिक बोलियां भी है। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो जैसे बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है ।इस क्षेत्र में हिंदी पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यालय में पत्रिका के प्रकाशन के द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में अत्यंत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमारी वार्षिक पत्रिका तूलिका के माध्यम से कार्यालय के पदाधिकारीगण इस दिशा में सफलता प्राप्त की है, अत: वे प्रशंसा के पात्र हैं।

इस अवसर पर मैं पत्रिका के संपादक मण्डल व प्रकाशन से जुड़े प्रत्येक सदस्य और रचनाकार को हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि पत्रिका लोगों में ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। हार्दिक शुभकामनाएं।

को प आनंद

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

संदेश

हमारी गृह पत्रिका "तूलिका" का नया अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। हमारा देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' के साथ अपनी 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है और सभी क्षेत्रों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इस संदर्भ में रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करके हमारी पत्रिका राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की भावना को मजबूत करने में हमारा विनम्र योगदान बन जाती है।

मै इस अंक मे योगदान देने वाले सभी रचनाकारों को, विशेष रूप से हिंदीतर भाषी कर्मियों की सराहना करती हूँ जिन्होंने अपनी रचनाओं से इस पत्रिका को समृद्ध बनाया है। पत्रिका का नियमित प्रकाशन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय मंडल बधाई के पात्र है। इस अंक से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन।

जय हिंद। जय हिंदी।

अनिम चेरियन

अनिम चेरियान
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I)

संदेश

आप सभी पाठकों के समक्ष हमारे कार्यालय की हिन्दी गृह पत्रिका 'तूलिका' के नूतन 30वें अंक की प्रस्तुति मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। पत्रिका का नियमित प्रकाशन हमारे कार्यालय की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ ही यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों में राजभाषा के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा का परिचायक है।

मुझे आशा है कि इस पत्रिका के लिए किए गए आपके अथक परिश्रम, पत्रिका को उन्नति के शिखर तक ले जाएंगे तथा प्रत्रिका अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल होगी।

पत्रिका के संपादन से जुड़े सभी सदस्य प्रशंसा के पात्र हैं। इस सामूहिक प्रयास के लिए समस्त सम्पादक मंडल, पत्रिका परिवार के सदस्यों एवं रचनाकारों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।

के.जे. टॉमी
वरिष्ठ उप महालेखाकार
(ए.एम.जी.-III/लेखापरीक्षा-II)

संदेश

हमारे कार्यालय की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'तूलिका' का 30वां अंक आप सभी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। पत्रिका का नियमित प्रकाशन किसी भी कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित एवं प्रतिबिम्बित करता है। यह कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग हेतु एक मंच प्रदान कर इसे प्रोत्साहन देने का भी कार्य करता है। पत्रिका में समाहित रचनाओं की भाषा सरल और सरस है। मुझे आशा है कि आप सभी पाठकों को यह अंक पसंद आएगा। आप इन रचनाओं को अपने जीवन से जोड़ सकेंगे, कुछ पहलुओं को अपने जीवन में उतार भी सकेंगे।

इस पत्रिका के प्रति आप सब अपना अगाध प्रेम और सहयोग बनाए रखे। हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि इसी तरह हम आगामी अंको को और भी रूचिकर और ज्ञानवर्धक बना सकें। मैं भविष्य में भी इसके सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

संपादकीय मंडल तथा इससे जुड़े सभी महानुभावों को उनके योगदान के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। इस सामूहिक प्रयास के लिए समस्त सम्पादक मंडल, पत्रिका परिवार के सदस्यों एवं रचनाकारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।

राहुल पा
उप महालेखाकार
(ए.एम.जी.-I/लेखापरीक्षा-I)

तूलिका

2022

अनुक्रमणिका

नैतिकता 10
श्री वी नारायणनकुट्टी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

उसकी मंशा थी टकराने की.... 12
श्री षाजि पी.वी., डी.ई.ओ

भाषा से राजभाषा बनने तक का सफर। 13
श्री गॉडसन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

हिंदी प्रोत्साहन योजना 2020 – 21 के अंतर्गत हिंदी में निर्धारित प्रतिशतता में कामकाज करने हेतु पुरस्कृत कर्मचारी 14

प्राकृतिक संसाधन: वर्तमान और भविष्य 15
श्री सुशील कुमार गुप्ता, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

गणतंत्र दिवस 17
श्री राजीव पी पी, केयरटेकर

गणतंत्र दिवस समारोह 2022 की झलकियां 19

भ्रष्टाचार से लड़ने में लेखापरीक्षा की भूमिका 20
श्री वी. बीजू श्रीधर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सुनहरे पल 24

डाक की यात्रा 25
देविका के दीपक, सुपुत्री, श्री दीपक के वी, सहा. पर्यवेक्षक

वित्तीय साक्षरता 26
श्रीमती सुधा पी आई, पर्यवेक्षक

उपलब्धियाँ 28

हिंदी पखवाड़ा समारोह 2021– रिपोर्ट 29

रोशनी की दुनिया 30
आदर्श डी, सुपुत्र, श्री दिनराज एम के, स.ले.प.अ.

यह सबसे कठिन समय नहीं 31
श्री दीपक के वी, सहा. पर्यवेक्षक

चित्रकारी 32

आपदा प्रबंधन 33
श्री मणिकण्ठन वी के, सहायक पर्यवेक्षक

ग्लोबल वार्मिंग 35
श्रीमती अश्वती लक्ष्मणन, सुपुत्री, श्रीमती सुधा पी आई, पर्यवेक्षक

आपके पत्र 36

संपादक की कलम से.....

वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "तूलिका" का 30वां अंक आप सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ पुनर्जागरण का द्योतक है। यह हमारे अंत:करण की शुद्धि की ओर इंगित करता है जो हमारे जीवन से बुराईयों को मिटाकर इसे प्रकाशमान बनाता है। प्रत्रिका में समाविष्ट बहुविध स्वरूप वाली रचनाएँ राजभाषा हिंदी के विविध आयामों सहित इसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थ को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम है। इस पत्रिका के माध्यम से हम राजभाषा के प्रति अपनी निष्ठा, संवैधानिक और नैतिक दायित्वों को बखूबी निभा पा रहे हैं।

पत्रिका में शामिल सभी रचनाएं पाठको के लिए ज्ञानार्जन का स्त्रोत बनें तथा उनमें रचनात्मक भाव का सृजन करें।

इस अंक के बारे में आप लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव का इंतज़ार रहेगा। आपको यह पत्रिका कैसी लगी इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्षा रहेगी।

वी नारायणनकुट्टी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी कक्ष

नैतिकता

श्री वी नारायणनकुट्टी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

नैतिकता को किसी एक अर्थ में नहीं ढाला जा सकता क्योंकि जो आचरण आपकी समझ में नैतिक है जरूरी नहीं कि वह मेरी या अन्य लोगों की समझ मे भी नैतिक हो। एक का नैतिक आचरण दूसरों के लिए अनैतिक हो सकता है या परिस्थिति इसके विपरित भी हो सकती है। इसके अर्थ को लेकर काफी मतभेद है। फिर भी, एक प्रयास तो किया जा सकता है।

नैतिकता के सर्वमान्य अर्थ को अगर देखा जाए तो युक्त आचरण ही नैतिकता है। दूसरा सवाल है फिर नीति किसे कहेंगे ? नीति शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमें नयति+इति अर्थात नीति प्राप्त होता है। नय का मतलब ले जाना अर्थात जो बातें सिद्धांत नियम या श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाए वही नीति है और इस नीति को धारण करने वाली शिक्षा ही नैतिकता है। यह वह सद्मार्ग है जिससे व्यक्ति एवं समाज दोनों के दीर्घकालीन एवं तत्कालीन हितों का संतुलित समन्वय होता है। ऐसा तभी संभव है जब मानवीय मूल्य यथा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, संयम, दान आदि को जीवन में शामिल किया जाए। देखा जाए तो धर्म युक्त जीवन व्यवहार ही नैतिकता है।

नैतिकता मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी निर्णय में नैतिक आधार होता है। मानव समाज में नैतिकता की भूमिका वांछित या अवांछित क्या है यह निर्धारित करने में निहित है। इस प्रकार, नैतिकता एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही और गलत की अवधारणाओं को व्यवस्थित करना, बचाव करना और अनुशंसा करना शामिल है।

किसी भी प्रश्न के लिए कि यह नैतिक है या नही, केवल एक प्रयोग ही काफी है।

"आप को प्रभावित व्यक्ति की जगह स्वयं को रखना है और अहसास करना है कि यदि यह आप के साथ हो तो क्या ये सही होगा? आपका उत्तर आपके नैतिकता के प्रश्न को हल कर देगा।"

नैतिकता एक तत्व है जो हमें कोई भी कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित करता है या अंतर्मन से एक आज्ञा देता है। उचित और अनुचित विचार की जिससे संकल्पना होती है उसे ही नैतिकता कहते हैं। ... नैतिकता का अर्थ है ऐसी नीति के साथ व्यवहार जिससे समाज में सहभागिता, एकरसता तथा आपसी प्रेमभाव बना रहे। यह मानव का वह अमूल्य वस्तु है, जो उसके सद्गुणों को प्रदर्शित करता है। उचित-अनुचित विचार की संकल्पना को नैतिकता कहा जा सकता है। नैतिकता वह है, जो हमें किसी कार्य को करने की या न करने की आज्ञा देती है। नैतिकता में यह भाव भी समाहित है कि अमुक कार्य अनुचित है, अतः उसे नही करना चाहिए। यह मानव-मूल्यों की वह व्यवस्था है जो अधिक सुखमय जीवन के लिए हमारे व्यवहार को आकार देती है। नैतिकता की सहायता से हम ईमानदारी से जीवन

जीकर हमारे सम्पर्क में आने वाले लोगों से विश्वास और मैत्री स्थापित करते हैं। नैतिकता सुख की कुंजी है

कुछ लोग सोचते हैं कि सफल जीवन वह है जिसमें हमारे पास अकूत भौतिक सम्पदा और अधिकार प्राप्त हों। यद्यपि हमें ये सब मिल भी जाए, तब भी हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते और सदा भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमसे छिन न जाए। यह सब हम जितना जोड़ते हैं विशेषतः जब दूसरों की कीमत पर जुटाते हैं, उतने ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। अब यह तो कोई नहीं कहेगा कि सफल जीवन वह है जहां लोग हमें पसंद न करते हों। सफल जीवन वह है जिसमें हमने बहुत से मित्र बनाए हों और लोग हमारी संगति में रहकर सुख का अनुभव करते हों। फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना धन अथवा बल है। हमारे पास भावात्मक सहारा होगा जिससे हमें यह बल प्राप्त होगा कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें।

नैतिकता के दिशा-निर्देश बताते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार सुख की ओर ले जाएगा और किससे समस्याएँ उत्पन्न होंगी। जब हम ईमानदारी से दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि हम उन्हें छलेंगे, सताएँगे या शोषित नहीं करेंगे। यह प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से हमारी मैत्री की आधार-शिला का काम करता है। वे हमारे साथ निश्चिन्त और खुश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि डरने की कोई बात नही है। बदले में, हम उनसे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। यह कौन चाहेगा कि हम जब भी किसी के पास जाएँ तो वे तुरंत सावधान हो जाएँ अथवा भय से कांपने लगें ? हर किसी को मुस्कराता चेहरा ही स्वागत-योग्य लगता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ; हमें जीवित रहने के लिए दूसरों का सहारा चाहिए। केवल तब नहीं जब शिशु अथवा नर्सिंग होम में पड़े जर्जर वृद्ध होते हैं, बल्कि आजीवन हमें औरों की सहायता और देख-भाल चाहिए होती है। प्रेमपूर्ण मित्रता से जो भावात्मक सहारा मिलता है वह जीवन को परिपूर्ण बनाता है। नैतिकता की गहरी समझ हमें हर मिलने वाले से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती है।

उसकी मंशा थी टकराने की....

श्री षाजि पी.वी.
डी.ई.ओ.

उसकी मंशा थी टकराने की,
गिर कर फिर से उठ जाने की।

अम्बर को बस छू ही लिया था उसने,
आवाज़ उसकी बिजली जैसी कड़क थी।

झेला था उसने जीवन के कटु पलों को,
फिर भी वो हर मुक़ाम पर खड़ी थी।

कितना दर्द दिया था उसे उस जमाने ने,
इन्हें फ़र्क़ ना पड़ा उसका अस्तित्व मिटाने में।

आज भी को वहीं की वहीं क़ाबिज़ है,
जहाँ दिन गुज़ारे थे उसने इनकी साज़िश में।

रुत बदल डाला था न्याय के ठगे पहरुओं ने,
हर तरफ़ अन्याय का ही बोल बाला था।

चीखती और चिल्लाती रही वो न्याय की ख़ातिर,
बिक चुके फ़ैसलेदारों का मनसूबा क़ाला था।

उसकी मंशा थी टकराने की,
गिर कर फिर से उठ जाने की।।

भाषा से राजभाषा बनने तक का सफर।

श्री गॉडसन पॉल
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

हिंदी को हमारे देश की राजभाषा बनने का गौरव काफी जद्दोजेहद के बाद 14 सितंबर 1949 को मिला। अगर हम अतीत में झांककर देखें तो उक्त तिथि से पूर्व भी राजभाषा के तौर पर इसके विकास में कई दशक लगें। इसे यूहिं बैठे-बिठाए राजभाषा का दर्जा नही प्रदान किया गया था। संविधान सभा में ही इसे राजभाषा का दर्जा दिए जाने पर काफी बहस हुई थी, साथ ही संविधान निर्माताओं में से कुछ इसके खिलाफ थें।

स्वतंत्रता से पूर्व अविभाजित भारत में कई सारी बोलियां तथा भाषाएं थी, हिंदी इन सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित ज्यादातर पत्रिकाओं और समाचारपत्रों की भाषा हिंदी ही रही। बात चाहे आन्दोलनों की हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठकों की, इन सभी में ज्यादातर हिंदी को ही संपर्क भाषा के तौर पर अपनाया गया। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान किया था।

संविधान सभा में भाषा संबंधी अनुच्छेदों पर लगभग तीन सौ या उससे भी अधिक संशोधन प्रस्तुत हुए। यह भाषा-विषयक बहस लगभग 278 पृष्ठों में मुद्रित हुई । भाषा-विषयक समझौते की बातचीत में डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं श्री गोपाल स्वामी आयंगार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस दौरान यह सहमति हुई कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु देवनागरी में लिखे जाने वाले अंकों तथा अंग्रेज़ी को 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रयोग करते रहने के बारे में बड़ी लंबी-चौड़ी गरमा-गरम बहस हुई। अंत में आयंगर-मुंशी फ़ार्मूला भारी बहुमत से स्वीकार हुआ।

स्वतंत्रता के बाद श्री एस.के. धर की अध्यक्षता में गठित समिति तथा जे.वी.पी. समिति ने भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के विरुद्ध सलाह दिया । इन समितियों के सुझाव के बाद पूरे भारत में भाषायी आधार पर राज्यों के पूनर्गठन को लेकर व्यापक आन्दोलन हुए, परिणामत: वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। इसके घटना के बाद देश के कई भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेजी से होने लगी। सरकार द्वारा इन मांगों को देखकर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसकी अनुशंसा को मानकर भाषायी आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। हाल ही के वर्षों मे गठित तेलंगाना राज्य इसका नवीनतम उदाहरण है।

वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी की दशा-और दिशा तय करने में यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ।

हिंदी प्रोत्साहन योजना 2020–21 के अंतर्गत हिंदी में निर्धारित प्रतिशतता में कामकाज करने हेतु पुरस्कृत कर्मचारी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - I) का कार्यालय, केरला, शाखा, तृशूर

श्री मणिकण्ठन वी. के, सहायक पर्यवेक्षक को प्रथम पुरस्कार प्रदान करते उपमहालेखाकार, श्री राहुल पा

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II) का कार्यालय, केरला, शाखा, तृशूर

श्रीमती नीनू एम डी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक को प्रथम पुरस्कार प्रदान करते वरिष्ठ उपमहालेखाकार श्री के. जे. टॉमी

श्रीमती ग्रेसी पी. सी, सहायक पर्यवेक्षक को द्वितीय पुरस्कार प्रदान करते वरिष्ठ उपमहालेखाकार, श्री के. जे. टॉमी

श्री अनिल के, वरिष्ठ लेखापरीक्षक को तृतीय पुरस्कार प्रदान करते वरिष्ठ उपमहालेखाकार, श्री के. जे. टॉमी

प्राकृतिक संसाधन
वर्तमान और भविष्य

श्री सुशील कुमार गुप्ता
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती हैं। प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य उन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से है जो संसार में स्वत: मौजूद हैं। मृदा, जल, वायु, वन, सूर्य का प्रकाश, वन्यजीव, खनिज़, ऊर्जा स्त्रोत आदि प्राकृतिक संसाधन हैं।

आदिकाल में मानव का प्रकृति से दाता और पाता वाला संबंध था। आगे चलकर मानवीय मस्तिष्क के विकास ने इसे प्रकृति के दोहन का तरीका सिखाया। अब आदिमानव एक सामाजिक मनुष्य बनने की ओर अग्रसर थे। तभी इनमे अहं की भावना ने जन्म लिया तथा इन्हें निज तथा पर में अंतर करना आ गया। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वच्छंद था जबकि बाद के काल में यह समय के साथ बढ़ती अपनी जरुरतों का आदि हो गया। अब इनमें संपत्ति के सृजन की लालसा पैदा हुई। इस सामाजिक मानव ने घेराबंदी कर एक निश्चित भूभाग को अपना आवास घोषित किया। पहले स्वतंत्र घूमने वाले पशु अब इनके पालतु हो गए। समय बीतने के साथ प्रकृति के प्रति इनके व्यवहार में परिवर्तन आया । अब इन्होनें प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। चूंकि ये संसाधन सीमित थे अत: इनके वितरण में विसंगति पैदा हुई। इस विसंगति ने मानव बिरादरी में शत्रुता का बीज बोया।

विदित है कि सभ्यता के आरम्भ से ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा है तथा आधुनिक विश्व की अर्थव्यवस्था इन प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। लेकिन विकास से जुड़ी गतिविधियों से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्तमान युग में पर्यावरण-सम्बन्धी समस्यायों का स्वरूप गम्भीर होता जा रहा है। विकासात्मक कार्यों और विकास सम्बन्धी सभी सहायक क्रियाकलापों के कारण प्रायः परिवेशी पर्यावरण, प्रकृति और लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर नाकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है कि सभी प्राकृतिक संसाधन यथा जल, खनिज संसाधन, सागरीय

सम्पदा, वन, मृदा आदि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनकी उपलब्धता हमेशा नहीं रहने वाली है, अर्थात ये सभी संसाधन शाश्वत नहीं हैं।

पृथ्वी पर विद्यमान पादप एवं जीव-जगत की सुरक्षा करने तथा पृथ्वी को बचाने के लिये यह जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के अविलम्ब प्रयास किए जाएँ। वर्तमान परिस्थितियों में विकास-कार्यों को सही दिशा प्रदान करना अति आवश्यक है। हमारे सभी विकास-कार्य 'सन्तुलित-समन्वित-ठोस विकास' की अवधारणा पर आधारित हों। ऐसा विकास एक ओर मानव जाति की समृद्धि सुनिश्चित करेगा तथा दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में भी योगदान देगा। वास्तव में प्रकृति की जीवनदायनी शक्ति का लाभ मानव के लिये तभी तक है जब तक पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन सुलभ रूप में मौजूद हैं।

अतः मानव जाति के उज्ज्वल भविष्य और पृथ्वी के संरक्षण के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि धरती पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का सन्तुलन न बिगड़े। पृथ्वी से ही नाना प्रकार के फल-फूल, औषधियाँ, अनाज, पेड़-पौधे आदि उत्पन्न होते हैं तथा पृथ्वी-तल के नीचे बहुमूल्य धातुओं एवं जल का अक्षय भण्डार है। अतः इसका संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है ताकि पृथ्वी के ऊपर जीव-जगत सदैव फलता-फूलता रहे। ऋग्वेद में भी बताया गया है कि यह पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष, वनस्पतियाँ, रस तथा जल एक बार ही उत्पन्न होता है, बार-बार नहीं, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है।

गणतंत्र दिवस

श्री राजीव पी पी
केयरटेकर

गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है, गण अर्थात् जनता का तंत्र। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जनता या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया हो।

गणतंत्रता दिवस अर्थात 26 जनवरी हम भारतीयों के लिए एक राष्ट्रीय महत्व का दिन है। वर्ष 1950 में इसी दिन देश का संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था और तभी से हर वर्ष यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी से पहले इस दिन स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा को दोहराया गया था। लेकिन अब देश के आजाद हो जाने के बाद प्रति वर्ष इसे देश के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था की 'पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है।' पंडित जवाहर लाल नेहरु ने रावी नदी के तट पर सर्व प्रथम तिरंगा लहरा कर यह घोषणा की थी की यदि ब्रिटिश सरकार को हमे औपनिवेशक स्वराज देना है तो दे, अन्यथा 1 जनवरी 1930 बाद हमारी मांग पूर्ण स्वराज की होगी। इस घोषणा के बाद कांग्रेस द्वारा तैयार घोषणा पत्र को भी सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया।इसी क्रम में 26 जनवरी 1930 को तिरंगे के साथ जुलुस निकाले गए और कई सभाए भी की गयी। यह निश्चित किया गया की जब तक हमे पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिल जाती हमारा यह आन्दोलन चलता रहेगा चाहे इसमें अब कितनी भी बाधाएं और विपत्तियां क्यों ना आ जाए।

इस प्रकार आजादी को पाने की इस कोशिश में कइयो ने लाठी-गोली खाई और अपनी जान गवाई। इस प्रकार काफी जद्दोजहद के बार अन्तत: 1947 में स्वतन्त्रता का सपना साकार हुआ और देश को अंग्रेजो के शासन से आजादी मिली।

26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ।तो इसे लागू करने की तिथि को लेकर भी काफी गहन विचार-विमर्श हुआ। सविधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर भीम राव अंबेडकर ने प्रजातांत्रिक शासन की घोषणा करते हुए अंत में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू भी कर दिया। इस प्रकार देश के लिए यह दिन अत्यंत महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन सारे

नागरिको को समान अधिकार दिए गए। संविधान में स्पष्ट किया गया कि भारत अनेक राज्यों का एक संघ होगा।

जनता में देश भक्ति की भावना जाग्रत करने और उत्साह की प्रेरणा देने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस के आयोजन पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिला मुख्यालयों से लेकर हर सरकारी भवन तक इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

यह समारोह देश की राजधानी दिल्ली में विशेष रूप से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के राष्ट्रपति का देश की आम जनता के नाम सन्देश आता है और अगले दिन गणतंत्र दिवस को अमर जवान ज्योति के अभिवादन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है।

सर्व प्रथम देश के प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवान ज्योति का अभिवादन किया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति देश की सेनाओ की सलामी लेने के लिए इंडिया गेट के मंच के पास आते है जहाँ तीनो सेनाओ के सेनापति उनका सम्मान करते है। इसके बाद राष्ट्रपति अपना आसन ग्रहण करते है जहाँ उनके साथ अन्य देशो के प्रमुख भी अथिति के रूप में होते है। सैनिको को श्रेष्ठ कार्यो के लिए सम्मान दिया जाता है.

इसके बाद गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड शुरू होती है। इसमें सर्वप्रथम जल, थल और वायुसेना के अधिकारी आगे चलते है जिन्हें परमवीर, अशोक और शौर्य चक्र आदि से सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही सेना की तीनो टुकड़ियो के अलावा सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, औधोगिक सुरक्षा बल आदि शामिल होते है। इसमें सेना के बैंड राष्ट्रीय धुन बजाते हुए चलते है। इसके बाद राज्यों की संस्कृति और उपलब्धि को दिखाती हुई कई प्रकार की रंग-बिरंगी झांकिया आती है। और अंत में विभिन्न स्कूलों के बच्चे रंग-बिरंगी वेशभूषा में कई प्रकार के करतब दिखाते हुए साथ चलते है। राज पथ से निकल कर यह परेड इंडिया गेट होती हुई लाल किले तक जाती है। किन्तु पिछले कुछ वर्षो से आतंकी गतिविधियों की वजह से इसका मार्ग बदल कर बहादुर शाह जफ़र मार्ग करते हुए लाल किले तक कर दिया गया है।

परेड के अंत मे वायु सेना के विमान आकाश में तिरंगा बनाते हुए विजक चौक के ऊपर से गुजरते है। कुछ विमान पुष्प वर्षा भी करते है। इस अवसर पर संसद भवन के साथ ही राष्ट्रीय महत्व के अन्य प्रतीक स्थलों पर विशेष सजावट और रौशनी भी की जाती है। फिर इसी दिन शाम को देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने निवास पर सांसदों, राजनेताओ अन्य देशो से पधारे हुए मेहमान और राजदूतो के साथ स्थानीय गणमान्य नागरिको को सामूहिक भोज भी दिया जाता है।

गणतंत्र दिवस समारोह

2022

गणतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते उप महालेखाकार, श्री राहुल पा

भ्रष्टाचार से लड़ने में लेखापरीक्षा की भूमिका

श्री वी. बीजू श्रीधर
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भ्रष्टाचार क्या है?

जैसा कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है - भ्रष्टाचार, सार्वजनिक प्राधिकरण का दुरुपयोग या निजी हित के लाभ से जुड़ा है। आम जन के जीवन में यह रिश्वतखोरी, गबन, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, रिश्वत, रिकॉर्ड में हेर-फेर और चोरी सहित विभिन्न रूपों और व्यवहारों में प्रकट होता है। भ्रष्टाचार की घटना अब सिर्फ एक अवधारणा ही नहीं है वरन् यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध का रूप धारण कर चूकी है जिसने देश की सीमाओं तक को नहीं छोड़ा। राजनीतिक स्थिरता और शांति को कम करना; विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं; विकास योजनाओं में बाधा डालना; सरकार में अविश्वास पैदा करना और आतंकवाद को बढ़ावा देन जैसी गतिविधियां इसके नवीनतम स्वरूप को मुखर कर रही हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त अवैध आय या काले धन को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वैध बनाया जाता है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के निहितार्थ भ्रष्टाचार की समस्या को अधिक चिंताजनक बनाते है और एक विकराल समस्या के तौर पर इसे संबोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

लेखापरीक्षा भ्रष्टाचार से लड़ने में किस प्रकार सहायता कर सकती है?

मुख्य रूप से, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सरकारी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों- जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व निकायों- जैसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं, आदि द्वारा की जाती है । हालांकि लेखापरीक्षा एक हितधारक के तौर पर इस लड़ाई में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार नहीं है। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ने लेखापरीक्षा को व्यापार और वित्तीय रिकॉर्ड की आधिकारिक परीक्षा के रूप में परिभाषित किया है

ताकि यह देखा जा सके कि वे सत्य और सही हैं। अपनी अंतर्निहित प्रकृति से, लेखापरीक्षा कई संकेतकों का सामना करती है, जो भ्रष्ट प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं। सैद्धांतिक रूप से लेखापरीक्षण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दो अलग-अलग भूमिकाएँ निभा सकता है: पहचान और रोकथाम। ये भूमिकाएँ आंशिक रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का पता लगाने से भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने से जाँच-पड़ताल की आवश्यकताओं में कमी आ सकती है।

निजी क्षेत्र में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट उनकी नियुक्ति की शर्तों के संदर्भ में प्रबंधन तक ही सीमित है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षक, उनके अधिदेश के अनुसार, रिपोर्टिंग की तुलना में निजी क्षेत्र के लेखापरीक्षकों के रूप में प्रतिबंधित नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षक, अर्थात, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई), निरीक्षण संस्थाओं के रूप में, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सुशासन को बढ़ावा देने के अपने अंतिम उद्देश्य में ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने में सीधे तौर पर शामिल हैं। साई सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में मदद कर सकते हैं और राजस्व को उचित रूप से प्राप्त और खर्च करना सुनिश्चित करके कानूनों, नियमों और विनियमों के उल्लंघन को उजागर कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार का पता लगाना न तो आसान है और न ही सीधा, क्योंकि यह मूल रूप से धोखे और छल का अपराध है। जालसाज अवैध कामों को छुपाने के लिए हर तरह की धोखेबाज तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय साई, अर्थात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) को संविधान और सी ए जी (डी पी सी) अधिनियम, 1971, दोनों द्वारा अपने कार्यों के अभ्यास में व्यापक जनादेश दिया गया है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में निम्नलिखित कदम उठा सकते है:

- सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र को बढावा देकर ही सार्वजनिक संस्थाएं भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में केंद्रीय भूमिका को निभा सकती है। प्रभावी वित्तीय रिपोर्टिंग, किसी भी विचलन के प्रकटीकरण के साथ अल्प वित्तीय प्रबंधन, धोखाधड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों के लिए एक प्रभावी निवारक है।

- लाल झंडे उठाएं जो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकेंगे और उनका पता लगाएंगे और अपराधियों को कठघरे में खड़ा करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेंगे।

- अपनी लेखापरीक्षा योजना में सहायता के लिए भ्रष्ट प्रथाओं के संबंध में शिकायतों, टिप ऑफ आदि के माध्यम से जनता सहित हितधारकों से सक्रिय रूप से जानकारी एकत्र करें।

- विधायिका, नागरिकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और समस्याओं को प्रभावी ढंग से ठीक करने के लिए सरकार पर अतिरिक्त दबाव डालने के लिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के पता लगाए गए मामलों का प्रयोग करें। व्यापक पहुंच के कारण प्रचार में सोशल मीडिया भी शामिल होना चाहिए, हालांकि सीएजी के कार्यालय में वर्तमान में सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है।

- साई, सार्वजनिक निकायों को उनके भ्रष्टाचार निवारण ढांचे को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं (या अधिक व्यापक ढांचे का निर्माण कर सकते हैं।) ढांचे की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करके और लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की सिफारिश कर सकते हैं।

- अपने वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के जोखिमों पर विचार करें और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, लाइसेंस, परमिट, विवेकाधीन शक्तियों के साथ निवेश करने वाले अधिकारियों और बड़े बजट को संभालने वाले, इन्वेंट्री नियंत्रण आदि जैसे क्षेत्रों पर जोखिम विश्लेषण के आधार पर ध्यान केंद्रित करें।

- ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया आदि की ओर अधिक जोर देने के साथ, लेखापरीक्षा को ऐसी सेवा वितरण/खरीद प्रणालियों के आईटी लेखापरीक्षा ऑडिट पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक यह माना जाता रहा है कि ई-गवर्नेंस सिस्टम खरीद में अनियमितताओं को दूर करने के लिए रामबाण है, क्योंकि यह मानव इंटरफेस को कम करता है। लेकिन, वर्ष 2014 में सामने आया बृहन मुंबई नगर निगम में 100 करोड़ रुपये का एक ई-निविदा घोटाला आंख खोलने वाली घटना है। यह बताया गया कि ई-निविदा प्रणाली तक पहुंच को अंदरूनी सूत्रों द्वारा पसंदीदा ठेकेदारों तक सीमित कर दिया गया था, इस प्रकार प्रतिस्पर्धा को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता था। यह भी बताया गया है कि कुछ बोलीदाताओं को प्रतियोगियों की इलेक्ट्रॉनिक बोलियों तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे वे बोलियों में हेरफेर करने में सक्षम हो गए।

- अन्य निरीक्षण निकायों के साथ मजबूत सहयोग धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उसके तार्किक अंत तक पहुंचने में सक्षम करेगा। सीवीसी का परिपत्र संख्या 3(वी)/99/14 दिनांक 16.05.2001 का एक मामला है, जिसमें सभी संगठनों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों को अन्य बातों के साथ-साथ सीएंडएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करने का निर्देश दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कदाचार या भ्रष्टाचार का कोई मामला है या नहीं। संबंधित लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनमें खुलासा किया गया है

भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने में लेखापरीक्षा की सीमाएं

सीएजी की संस्था वेस्टमिंस्टर प्रकार पर आधारित है, जो सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की सहायक भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है, जो प्रतिबंध के बजाय भ्रष्टाचार की रोकथाम को लक्षित करता है। लेखा और लेखापरीक्षा पर विनियम, 2020- संख्या 20 (3) से स्पष्ट है - जो निर्धारित करता है कि लेखापरीक्षा के दौरान धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका पर सीएजी का स्थायी आदेश, 2010 के अनुसार अपने लेखापरीक्षा उत्पादों में ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने और इसे प्रबंधन और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों, जैसे सीबीआई, राज्य सतर्कता विभागों/ लोकायुक्त आदि को सूचित करें। इस प्रकार, रिपोर्टिंग पूरी होने के बाद ऐसे मामलों में इसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। सीएजी के निष्कर्षों की सीमा 2012 के डब्ल्यूपी (सिविल) 469 में अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 9/05/2013 के फैसले से स्पष्ट है। मामले पर विचार किया गया था कि क्या सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राहत देने या कार्रवाई शुरू करने का आधार थी । न्यायालय ने माना कि सीएजी की रिपोर्ट हमेशा संसद द्वारा जांच के अधीन होती है और यह संसद को तय करना है कि रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सीएजी की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी दी जाए या नहीं। न्यायालय की टिप्पणियों के अलावा, जब कानून का शासन कमजोर होता है, तो लेखापरीक्षा द्वारा प्रेषित संदिग्ध धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है।

इस कमजोरी से बाहर निकलने का रास्ता समान विचारधारा वाले संस्थानों के साथ मिलकर काम करना है। सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रसारित करने में मीडिया की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। चाहे बोफोर्स हो, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कोयला ब्लॉक आवंटन, राष्ट्रमंडल खेल 2010, आदर्श हाउसिंग घोटाला आदि, मीडिया ने ही इन रिपोर्टों पर प्रकाश डाला। सरल भाषा में समय पर रिपोर्टिंग और इसका व्यापक प्रसार ही एकमात्र उपकरण है जिससे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उपयुक्त स्थान तक पहुंचा पाएंगे ताकि भ्रष्टाचार पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह आगे का एकमात्र रास्ता है यदि विधायी निकाय, जिनपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का दायित्व है, और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी निकाय अपना कर्तव्य निभाने से मूंह फेरते हैं। यह सबसे भरोसेमंद संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय नागरिक भागीदारी के लिए ऑडिट प्रक्रिया को उनके लिए खोल देगा।

सुनहरे पल

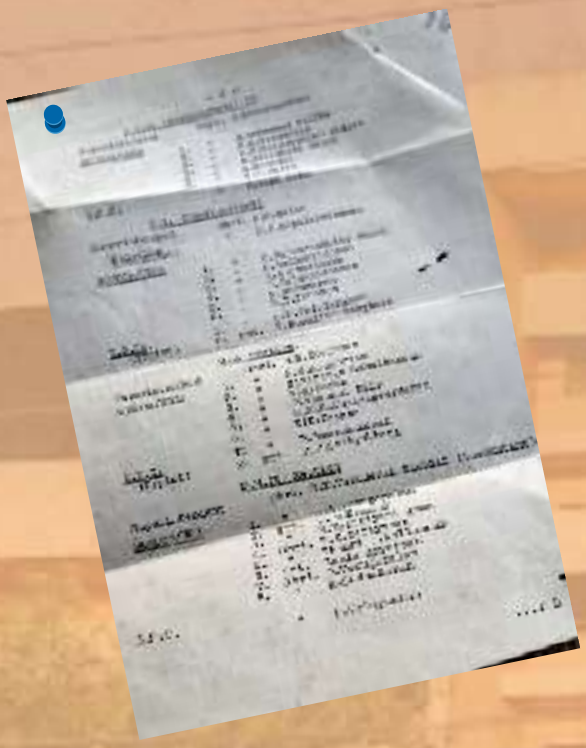

शाखा कार्यालय, तृशूर हेतु जारी प्रथम आदेश

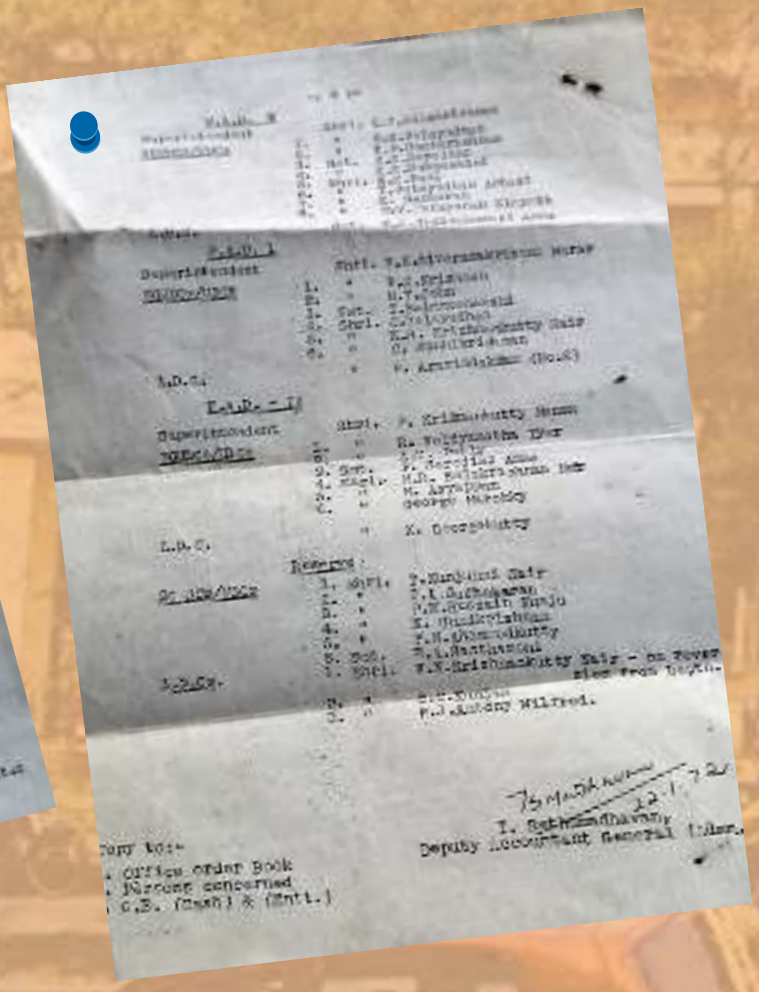

डाक की यात्रा

देविका के दीपक
सुपुत्री, श्री दीपक के वी, सहा. पर्यवेक्षक

प्राचीन काल में कबूतर, बाँज जैसे पक्षियों के द्वारा संदेश का आदान-प्रदान किया जाता था। महाकवियों की रचनाओं में बादल, बरसात और पवन को संदेशवाहको के रूप में पाया जाता है।

संदेशवाहक घोड़े की सवारी करके संदेश लेकर जाता था। जिसमें कई दिन लग जाते थे। बाद में मनुष्य खुद चलकर तथा घोड़े पर सवार होकर यह काम करने लगा। फिर भारत के कई राज्यों में डाक सेवाएं शुरू हो गई। डाकिए, पत्र पहुंचाने का कार्य करने लगे। पोस्ट कार्ड, पोस्ट लिफाफें, एयर मेल आदि का प्रयोग करने लगे। उसके बाद तार का उपयोग करने लगे। अब वर्तमान में विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि टेलिविजन, मोबाइल फोन, रेडियों, ई-मेल, इंटरनेट का चलन बढ़ता जा रहा है। विज्ञान की प्रगति ने कंम्प्यूटर का अविष्कार किया। आज मोबाइल फोन के बिना हम घर से नहीं निकल सकते है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बात की जा सकती है। विडियों कॉलिंग करके अपने सामने देखते हुए भी बात की जा सकती है। मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते है। हम सभी संचार के साधनों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं।

वित्तीय साक्षरता

श्रीमती सुधा पी आई
पर्यवेक्षक

हम अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में जाते हैं और अपनी आजीविका कमाने लगते हैं। हम नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं ताकि हम अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमा सकें। लेकिन इनमें से कौन सी संस्था हमें अपनी मेहनत की कमाई का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है? शायद उनमें से बहुत कम।

व्यवस्थित बजट बनाकर, अपने ऋणों का भुगतान करके, खरीदने और बेचने के निर्णय लेने और अंततः आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की हमारी क्षमता को वित्तीय साक्षरता के रूप में जाना जाता है। वित्तीय साक्षरता बुनियादी वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों को जानना और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में लागू करना है।

वित्तीय साक्षरता में क्या शामिल है?

हमारे खर्चों पर नज़र रखने और अगर हम किसी उत्पाद को पसंद करते हैं तो पैसे खर्च करने की आवश्यकता को समझने जैसी सरल प्रथाओं से बचाए गए समय और खोए हुए पैसे के मूल्य के बीच संतुलन बनाना, हमारे करों का भुगतान करना और कर रिटर्न दाखिल करना, संपत्ति सौदों को अंतिम रूप देना, आदि - सब कुछ वित्तीय साक्षरता का हिस्सा बन जाता है

मनुष्य के रूप में, हमें वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों को जानने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अपने स्वयं के पैसे का प्रबंधन इस तरह से करना कि यह हमें और हमारे परिवार को नकारात्मक तरीके से प्रभावित न करे, महत्वपूर्ण है। हम निश्चित रूप से एक ऐसे दिन का अंत नहीं करना चाहते जिसके हाथ में पैसा न हो और हमारे पेट में भूख न हो

वित्तीय साक्षरता एक व्यक्ति को एक बजटीय मार्गदर्शिका तैयार करने में सक्षम बनाती है जिससे वह यह अंतर कर सके कि वह क्या खरीदता है, क्या खर्च करता है और उसका क्या बकाया है। यह विषय उन उद्यमियों को भी प्रभावित करता है,

जो अविश्वसनीय रूप से वित्तीय विकास और हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत को जोड़ते हैं।

वित्तीय साक्षरता लोगों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह आपको निवेश विकल्पों, वित्तीय बाजारों, पूंजी बजट आदि के बुनियादी ज्ञान के साथ सशक्त बनाता है।अपने पैसे को समझने से धोखाधड़ी जैसी स्थिति का सामना करने का खतरा कम हो जाता है। कुछ रणनीतियां भी हैं लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है, खासकर जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं जो सभी खातों से सीखा और नियोजित है। वित्तीय साक्षरता का बुनियादी ज्ञान लोगों को जोखिमों का पूर्वाभास करने और किसी भी विद्वान और जानकार के साथ बहस/औचित्य देने में मदद करेगा।

उपलब्धियाँ

श्री वी बीजू श्रीधर

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

"प्रथम लेखापरीक्षा दिवस -2021" के आयोजन के दौरान आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (ऑनलाइन) में प्रथम स्थान हासिल किया।

श्री के एम कृष्णन

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित फोटोग्राफी तथा विडियो प्रतियोगिता "अभिव्यक्ति-2021" में एलिमेंट्स श्रेणी के तहत तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

शिवानी सुधीर

सुपुत्री श्री सुधीर टी वी, सहायक पर्यवेक्षक

केरला स्टेट सब- जूनियर इण्टर डिस्ट्रिक्ट बैडमिण्टन प्रतियोगिता की विजेता।

हिंदी पखवाड़ा समारोह 2021– रिपोर्ट

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में दि.14.09.2021 से 28.09.2021 तक हिंदी पखवाडा का आयोजन गया । पखवाडा समारोह का आयोजन श्रीमती जी सुधर्मिनी, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की अध्यक्षता में श्रीमती अनिम चेरियान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) एवं श्री को.प.आनंद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) की उपस्थिति में ऑनलाइन माध्यम से किया गया । श्रीमती के आर रोहिणी, हिंदी अधिकारी ने प्रधान महालेखाकारों की अनुमति से सभा का शुभारंभ किया। वरि. उप महालेखाकार श्री एन वी मात्तच्चन ने प्रतिष्ठित सभा का स्वागत किया । श्रीमती जी सुधर्मिनी, प्रधान महालेखाकार ने अपनी अध्यक्षीय भाषण से समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया। श्रीमती अनिम चेरियान, प्रधान महालेखाकार ने उपस्थित अधिकारियों को राजभाषा शपथ दिलाई। तदुपरांत श्रीमती शेरिन एम एस, वरि.उप महालेखाकार ने भारत के आदरणीय गृह मंत्री के संदेश का पठन किया । श्रीमती अनू जोस, वरि.उप महालेखाकार के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ उद्घाटन सभा संपन्न हुई।

पखवाडा समारोह के सिलसिले में दि.13/09/2021 से 16/09/2021 तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से निबंध लेखन, टिप्पणी व आलेखन, कविता रचना, कथा रचना, पोस्टर डिज़ाइनिंग तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और दि.16.09.2021 को अधिकारियों हेतु राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दि. 28.09.2021 को श्रीमती अनिम चेरियान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) की अध्यक्षता में श्री को. प. आनंद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) की उपस्थिति में आयोजित समापन समारोह के दौरान प्रधान महालेखाकारों द्वारा मुख्य कार्यालय की अर्धवार्षिक ई -गृह पत्रिका 'सविता' और शाखा कार्यालय, तृशूर की वार्षिक ई-पत्रिका 'तूलिका' का लोकार्पण किया गया । उक्त समारोह में श्रीमती जे आर आशा, हिंदी अधिकारी द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा प्रोत्साहन योजना के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। श्रीमती ए एम भद्रांबिका, हिंदी अधिकारी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अपराह्न 04.45 बजे कार्यक्रम संपन्न हुआ।

रोशनी की दुनिया

आदर्श डी

सुपुत्र, श्री दिनराज एम के, स.ले.प.अ.

एक बार शान नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताब पढने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा कि नदी में एक किताब बह रही है। उसने वह किताब ले ली और जब उसने वह किताब खोली तो देखा कि उस पर 385785 कुछ ऐसा लिखा हुआ था। वह उसे समझ नही पाया । किताब से एक आवाज आई, वह डर गया, अचानक वह किताब के अंदर चला गया। एक बार जब वह उतरा तो उसने एक बड़ा रेगिस्तान देखा, वह हैरान था और अपने घर की तलाश कर रहा था। चलने के बाद उसने देखा कि एक नन्हा पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ था। चिड़िया बहुत प्यारी थी। जब चिड़िया ने छोटे लड़के को देखा तो चिड़िया ने 'पानी-पानी' पूछा। लड़के ने पक्षी को अपने हाथ में ले लिया। बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें एक छोटा तालाब मिला। लड़के ने चिड़िया को पानी दिया। पक्षी द्वारा पानी पीने के बाद वह बड़ा होकर पेड़ के समान हो गया। चिड़िया बच्चे को अपनी पीठ में लेकर उड़ने लगी और लड़का मदद के लिए चिल्लाया लेकिन साथ ही इतने बड़े पक्षी को देखकर हैरान रह गया। पक्षी ने कहा "मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाउंगा।" अचानक उसने अलार्म की आवाज सुनी और वह जग गया। जब वह स्कूल जाने के लिए ड्रेस ले रहा था तो उसने अपनी आलमारी मे कुछ देखा। जब उसने देखा तो वहां वही किताब थी जो उसने सपने में देखा थी।

यह सबसे कठिन समय नहीं

श्री दीपक के वी
सहा. पर्यवेक्षक

नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं,

अभी भी दबा है, चिड़ियां की चोच में तिनका,

और वह उड़ने की तैयारी में है।

अभी भी झरती हुई पत्ती,

थामने को बैठा है हाथ एक,

अभी भी भीड़ है स्टेशन पर,

अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है,

गंतव्य तक,

जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा,

अभी भी कहता है कोई किसी को,

जल्दी आ जाओ कि अब,

सूरज डूबने का वक्त हो गया ।

अभी भी कहा जाता है,

अभी आती है एक बस,

अंतरिक्ष के पार की दुनिया से,

लाएगी बचे हुए लोगो की खबर,

नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं।

चित्रकारी

आदर्श डी
सुपुत्र श्री दिनराज एम के
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

देविका के दीपक
सुपुत्री श्री दीपक के वी
सहायक पर्यवेक्षक

लक्ष्मी कृष्णा
सुपुत्री श्रीमती नीनू एम डी
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

आपदा प्रबंधन

श्री मणिकण्ठन वी के
सहायक पर्यवेक्षक

आपदा एक ऐसी अनापेक्षित घटना है जो कम समय में किसी भूभाग सहित पूरे जनमानस को क्षति पहुंचाती है। कुछ आपदाओं की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वे राष्ट्रीय आपदा का रूप धारण कर लेती है। वर्ष 2005 से 2015 के दौरान लगभग 1.5 बिलियन से अधिक लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, इनमें महिलाएँ, बच्चे और कमज़ोर वर्ग के लोग विषमतापूर्वक प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2008 तथा वर्ष 2012 के बीच लगभग 144 मिलियन लोग आपदाओं के परिणामस्वरूप विस्थापन का शिकार हुए।

आपदाएं दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, भूकंप, भू-स्खलन, सुनामी, चक्रवात आदि तथा मानव निर्मित आपदाओं में रासायनिक, नाभिकीय तथा जैविक आपदाएं आती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया है। इस शीर्ष निकाय के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री है। प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं द्वारा होने वाले विनाश तथा हानि की रोकथाम, शमन और तैयारी के राष्ट्रीय संकल्प को भारत सरकार का यह निकाय प्रोत्साहित करता है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। भारत सरकार सभी सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और लोगों की भागीदारी के निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं से होने वाली क्षति और विनाश को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। तकनीक के माध्यम से, सक्रिय, बहु-आपदा तथा बहु-आयामी रणनीति के द्वारा एक आपदा रोधी, गतिशील भारत का निर्माण करने की योजना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शीर्ष निकाय के रूप में, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करता है, ताकि आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी

प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में, इसकी जिम्मेदारियां हैं - आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में नीतियां निर्धारित करना, राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना, राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना, राज्य योजना तैयार करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों का निर्धारण करना, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपायों अथवा इसके प्रभावों के शमन के उपायों को एकीकृत करने के लिए दिशानिर्देशों का निर्धारण करना, आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजना के लिए प्रतर्वन और कार्यान्वयन को समन्वित करना, प्रशमन के उद्देश्य के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करना, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को सहायता प्रदान करना, आपदा की रोकथाम या आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए शमन या तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए जो भी आवश्यक हो, उपाय करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यान्वयन के बारे में व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना।

बात अगर आपदा प्रबंधन के लिए वैश्विक पहल की हो तो सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-30 वैश्विक पहलों मे से एक है। इसे जापान के सेंदाई में मार्च, 2015 में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय जिसे पूर्व में आपदा न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नीति (UNISDR) के रूप में जाना जाता था, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और इसके कार्य सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवतावादी क्षेत्रों में विस्तारित हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1999 में आपदा न्यूनीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय रणनीति अपनाई और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये इसके सचिवालय के रूप में UNISDR की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में आपदा जोखिम की कमी के लिये क्षेत्रीय संगठनों और सामाजिक-आर्थिक तथा मानवीय गतिविधियों के बीच समन्वय और सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2001 में इसके जनादेश को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में केंद्रबिंदु के रूप में कार्य करने हेतु विस्तारित किया गया था। UNISDR को 18 मार्च, 2015 को सेंदाई, जापान में आयोजित आपदा जोखिम में कमी को लेकर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद भी आपदाएँ सतत् विकास की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, हालाँकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम को कम करने संबंधी प्रयासों हेतु महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

ग्लोबल वार्मिंग

श्रीमती अश्वती लक्ष्मणन
सुपुत्री, श्रीमती सुधा पी आई, पर्यवेक्षक

ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तपन एक ऐसी घटना है जो हर मिनट हो रही है जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी की समग्र जलवायु में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। वायुमंडल में सौर विकिरण को रोकने वाली ग्रीनहाउस गैसों द्वारा लाया गया ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के पूरे मानचित्र को बदल सकता है, क्षेत्रों को विस्थापित कर सकता है, कई देशों में बाढ़ ला सकता है और कई जीवन रूपों को नष्ट कर सकता है। चरम मौसम ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष परिणाम है लेकिन यह संपूर्ण परिणाम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लगभग असीमित प्रभाव हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक हैं।

दुनिया भर में समुद्र का स्तर प्रति वर्ष 0.12 इंच बढ़ रहा है। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण हो रहा है। इससे कई तराई क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ गई है और प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचा है। आर्कटिक ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और समुद्री जल की अम्लता भी बढ़ गई है जिससे समुद्री जीवों को गंभीर नुकसान हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंभीर प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, जिसका जीवन और संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

जब तक मानव जाति ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करती है, ग्लोबल वार्मिंग में तेजी जारी रहेगी। परिणाम बहुत छोटे पैमाने पर महसूस किए जाते हैं जो निकट भविष्य में और भीषण हो जाएंगे। दिन बचाने की ताकत इंसानों के हाथ में है, जरूरत है दिन को जब्त करने की। ऊर्जा की खपत को व्यक्तिगत आधार पर कम किया जाना चाहिए। ऊर्जा स्रोतों के अपव्यय को कम करने के लिए ईंधन कुशल कारों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता कम होगी। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी बुराई है जिसे एक साथ लड़ने पर ही हराया जा सकता है।

पहले से कहीं ज्यादा देर हो चुकी है। यदि हम सब आज कदम उठाते हैं, तो कल हमारा भविष्य कहीं अधिक उज्जवल होगा। ग्लोबल वार्मिंग हमारे अस्तित्व का अभिशाप है और इससे लड़ने के लिए दुनिया भर में विभिन्न नीतियां सामने आई हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वास्तविक अंतर तब आता है जब हम इससे लड़ने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर काम करते हैं। एक अपरिवर्तनीय गलती बनने से पहले इसके आयात को समझना अब महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम में से प्रत्येक इसके लिए जिम्मेदार है।

आपके पत्र

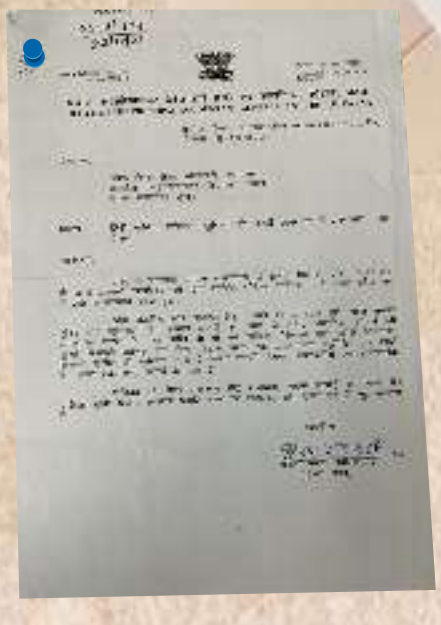

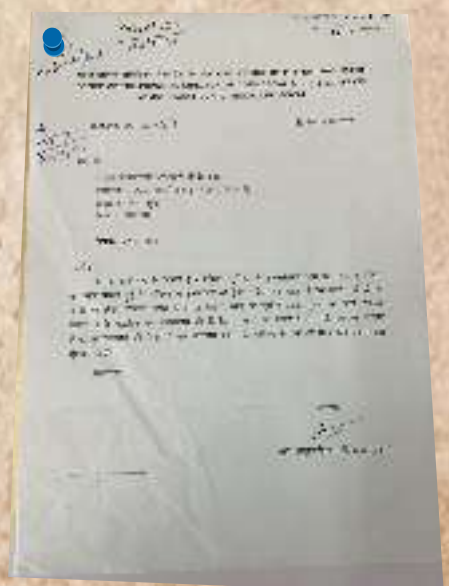

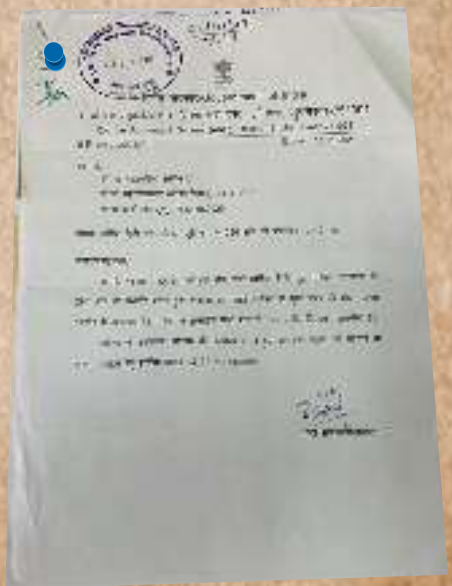

प्रधान महालेखाकार महोदय श्री को प आनंद
का शाखा कार्यालय तृशूर आगमन

तूलिका

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) का कार्यालय, केरल
एवं
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II) का कार्यालय, केरल
तृशूर शाखा